सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः–272202
website: www.suksn.edu.in

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Sidhharth Nagar
Pin -272202
Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांकः 1085 /सा0प्र0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक–28/10/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय–प्रवेश रद्द कराने पर फीस वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर), उत्तर प्रदेश शासन, के पत्र संख्या–ई–7147/32–जी.एस./2026–XV दिनांक–24 अक्टूबर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्बन्धित द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या–D.O. No.1-3/2025(CDB/Fee Nivaran Cell) दिनांक–07 अक्टूबर, 2026 के अनुपालन में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश रद्द कराने अथवा माइग्रेशन करने वाले विद्यार्थियों की फीस वापसी हेतु स्पष्ट नीति एवं दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कुलाधिपति कार्यालय ने सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों की फीस वापसी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने स्तर से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों की फीस वापसी हेतु विश्व विद्यालय अनुदान आयोग एवं कुलाधिपति कार्यालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त्।

28/10/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः /सा0प्र0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक– / /2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सि0वि0वि0, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया, के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लागिन पर अपलोड करने हेतु।
4. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–226027

संख्याः ई–7147/32–जी.एस./2026–XV
दिनांकः २५ अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल
(अपर मुख्य सचिव स्तर), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया दैनिक समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स, लखनऊ" के दिनांक 20.10.2026 के अंक में प्रकाशित खबर "फीस दबाए बैठे विश्वविद्यालय, UGC ने राज्यपाल को लिखा" का अवलोकन करने का कष्ट करें।(छायाप्रति : संलग्न)

2. आप अवगत हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर (दिसंबर 2020, जुलाई 2021, अगस्त 2022, जुलाई 2023, फरवरी 2024 एवं जून 2024) उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश रद्द कराने अथवा माइग्रेशन करने वाले विद्यार्थियों की फीस वापसी हेतु स्पष्ट नीति एवं दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1 इस सम्बन्ध में आयोग एवं कुलाधिपति कार्यालय के संज्ञान में यह गंभीर विषय आया है कि राज्य के कई विश्वविद्यालय (सरकारी एवं निजी दोनों) द्वारा प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों की फीस वापसी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। U.G.C. द्वारा बार–बार अनुस्मारक भेजने तथा शिकायतों को प्रेषित करने के उपरांत भी अनेक प्रकरणों में पूरी रकम अथवा आंशिक रकम बकाया रखी गई है, जो कि अत्यंत खेदजनक है।

2.2 विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा प्रवेश रद्द कराने के सम्बन्ध में U.G.C. की फीस रिफंड नीति के अनुसार प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं:

i. पूर्ण वापसी (100% Refund): प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन या उससे पूर्व प्रवेश रद्द करने/माइग्रेशन पर 100% फीस वापस की जाएगी।
ii. कटौती सीमा: 31 अक्टूबर तक प्रवेश वापस लेने पर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम ₹1,000/– की ही कटौती की जा सकती है।
iii. आंशिक वापसी:

- प्रवेश की घोषित अंतिम तिथि के 15 दिन से कम समय पूर्व प्रवेश रद्द करने पर 90% फीस वापसी।
- घोषित अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तक 80% फीस वापसी।
- घोषित अंतिम तिथि के 15 से 30 दिन के भीतर 50% फीस वापसी।

Registrar
Kindly see no such cases remain pending at SUK.

Mr. Vivek
27/10/26

iv. 30 दिन से अधिक प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद नाम वापस लेने पर कोई फीस वापसी देय नहीं होगी।

3. नियमों की इस अनदेखी से न केवल छात्रों एवं उनके अभिभावकों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता एवं छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। U.G.C. ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया है।

4. अतएव उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि U.G.C. द्वारा निर्धारित 'फीस रिफंड पॉलिसी' का अपने विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित सभी फीस वापसी प्रकरणों/शिकायतों की तत्काल समीक्षा कर पात्र विद्यार्थियों की बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र कराने/कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या U.G.C. एवं इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल
(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

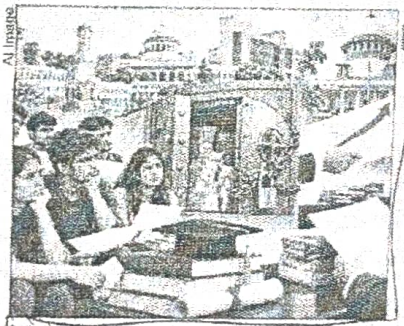
विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
प्राप्त हुई 7147/जी०एस०
दिनांक 27/10/24

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक .....

फीस दबाए बैठे विश्वविद्यालय, UGC ने राज्यपाल को लिखा

NBT रिपोर्ट, लखनऊ



यूपी के केंद्रीय, राज्य एवं सरकारी विश्वविद्यालय अपना दाखिला रद करवाने वालों छात्रों की फीस दबा कर बैठे हुए हैं। इन मामलों में लगातार फीस वापसी के निर्देशों को अनसुना करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्यपाल कार्यालय से हस्तक्षेप कर फीस रिफंड पॉलिसी का कड़ाई से पालन करवाने का अनुरोध किया है। यूजीसी ने जनभवन को भेजे पत्र में कहा है कि बार बार निर्देश देने, छात्रों की शिकायतें संबंधित संस्थानों को भेजने और फोन पर फॉलोअप के बावजूद कई संस्थान फीस वापसी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे।

यूजीसी ने छात्रों के नाम और विश्वविद्यालयों की सूची भी जनभवन को भेजी है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू), बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय सहित कई सरकारी और न विश्वविद्यालय शामिल हैं। लखनऊ से डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, खवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय और बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं। सूची में प्रत्येक मामले के साथ छात्र की जमा फीस, संस्थान की ओर से वापस की गई धनराशि और बाकी रकम का विवरण भी दिया गया है। कई मामलों में पूरी फीस बकाया दिखाई गई है, जबकि कुछ में आंशिक रकम लौटाने के बाद भी फीस का कुछ हिस्सा बकाया है।

नियमों के प्रति आगाह करें : यूजीसी का कहना है कि आयोग दिसंबर 2020 से फीस वापसी को लेकर लगातार निर्देश जारी कर रहा है। इसके बाद जुलाई 2021, अगस्त 2022, जुलाई 2023, फरवरी 2024 और जून 2024 में भी दिशा निर्देश जारी किए गए। शिकायतें संबंधित संस्थानों को भेजने और बैठकों के बावजूद अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। आयोग ने कहा है कि नियमों की अनदेखी से न केवल छात्रों को परेशानी होती है, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। यूजीसी ने राज्यपाल कार्यालय से संबंधित संस्थानों को नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आगाह करने को कहा है। साथ ही साफ किया है कि फीस रिफंड नीति का उल्लंघन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।

इन विश्वविद्यालयों की भेजी शिकायतें : लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एपीजे रुहेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गलगोटियाज विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, खवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय।

फीस वापसी के ये है नियम

- 30 सितंबर 2024 तक प्रवेश रद्द करवाने या दूसरे संस्थान में माइग्रेशन पर 100% फीस वापस।
- 31 अक्टूबर 2024 तक प्रवेश वापस लेने पर अधिकतम 1000 रुपये कटौती।
- प्रवेश की अंतिम घोषित तारीख से 15 दिन या उससे पहले नाम वापस लेने पर 100% फीस वापसी का प्रावधान है।
- अंतिम तारीख के 15 से 30 दिन के बीच प्रवेश छोड़ने पर 50% फीस वापसी।
- अंतिम तारीख के 30 दिन से अधिक बाद प्रवेश छोड़ने पर कोई फीस वापस नहीं।

सरकारी, निजी दोनों ही विवि की शिकायतें, नियम के बावजूद विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं कर रहे